RTE ACT 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

शिक्षा का अधिकार (RTE)

- शिक्षा शुरू में जो एक संवैधानिक अधिकार था, अब एक मौलिक अधिकार है। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21(A) जोड़ा गया था। जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष तक आयु के सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मिलेगा
- भारत में शिक्षा का अधिकार' संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में उल्लिखित है।
- 2 दिसंबर, 2002 को संविधान में 86वाँ संशोधन किया गया था और इसके अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था ।
- इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2009 में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right of Children to Free and Compulsory Education-RTE Act) बनाया गया। जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुच्छेद

RTE Act 2009 के कुल 38 अनुच्छेद

1 नि:शुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009

2 उपधाराओं का उल्लेख

3 बालक का नि:शुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

4 प्रवेश नहीं दिए गए बच्चे को या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है उनके लिए उप्रबंधन

5 अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार

Scanned with CamScanner

6 3 वर्ष के भीतर बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा,निर्धारित सीमा में विद्यालय तैयार होना चाहिए

7 केंद्र और राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने और निधियां उपलब्ध कराएंगे।

8 समुचित सरकार से करता

9 स्थानीय प्राधिकारी के कर्त्तव्य

10 माता पिता के कर्त्तव्य

11 समुचित सरकार का विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था

12 दुर्बल एवं अलाभित समूह के लिए नजदीकी निजी विद्यालयों में 25:आरक्षण दिया जाएगा

13 प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति 30 अनुवीक्षक प्रक्रिया न होना

14 प्रवेश धरना आयु

15 बालक प्रारम्भ में या विहित समय 6 माह तक कभी प्रवेश ले सकता है।

16 विद्यालय में किसी के द्वारा भी बच्चे को किसी भी कक्षा में प्रवेश से रोका नहीं जायेगा और न ही बच्चे को निकला जायेगा।

17 बच्चों के शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न का प्रतिरोध

18 मान्यता प्रमाण पत्र के लिए बिना किसी विद्यालय का स्थापित किया जाना

19. विद्यालय के मान– मान मानक

20. अनुसूची का संसोधन करने की शक्ति

21. प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय समिति का गठन करेगा जिसमे 75 : या फिर 3ध्4 संरक्षक तथा 50 : महिलाओं की भागीदारी होगी।

22. विद्यालय प्रबंधन समिति एक विद्यालय विकास योजना बनाएगी

23. शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं और शर्ते।

24. शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना

25. छात्र शिक्षक अनुपात

26. शिक्षकों के खाली पदों को भरना

27. शिक्षकों को जनगणना ,आपदा राहत, चुनावी प्रक्रिया के अलावा किसी गैर परियोजना के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

28. प्राइवेट ट्यूशन का शिक्षण नहीं करेगा।

29. पाठ्यक्रम और मूल्यांकन

30. परीक्षा समापन प्रमाण पत्र।

31. बच्चों के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना।

32. शिकायतों को दूर करना 3 महीने के अंदर अंदर

33. राष्ट्रिय सलाहकार परिषद का गठन

34. राज्य सलाहकार परिषद

35. निर्देश जारी करने की शक्ति

36. अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी

37. सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संस्थान।

38. समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति

RTE Act की विशेषताएं

- आरटीई अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा दी जाती है।
- शिक्षा के अधिकार का पहला ऑफिसियल डाक्यूमेंट्स 1990 में राममूर्ति समिति की रिपोर्ट थी।
- संसद द्वारा राइट टू एजुकेशन को 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था।
- आरटीई एक्ट को 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया था।
- भारत 135 देशों की सूची में शामिल हुआ जहाँ शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है।
- यह RTE ACT शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए विद्यालयों के basic parameters को स्थापित करता है।
- इसके तहत ऐसे संस्थान के सञ्चालन पर रोक लगायी जाती है जिन्हें मान्यता प्राप्त न हो।
- यह केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय जिम्मेदारियों सहित अन्य जिम्मेदारियों को साझा करने की जानकारी भी देता है।

Scanned with CamScanner

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का निषेध करता है।
- किसी स्कूल द्वारा आरटीई, 2009 के तहत मुफ्त शिक्षा देने के स्थान पर बच्चों से फीस की मांग करने पर विद्यालय से 10 गुना फीस वसूली जाएगी। साथ ही इसकी मान्यता को भी रद्द किया जा सकता है।
- यदि किसी विद्यालय की मान्यता को रद्द करने के उपरांत भी उस विद्यालय को चलाया जाता है तो विद्यालय से दंड स्वरुप 1 लाख और 10 हजार रुपए प्रतिदिन वसूला जायेगा।
- अधिनियम की धारा 12 (1) (C) के तहत गैर अल्पसंख्यक निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के प्रवेश स्तर ग्रेड में कम से कम 25 प्रतिशत सीटों को आरक्षित देगी।
- यदि कोई बच्चा दिव्यांग है तो आरटीई एक्ट 2009 के तहत स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए आयु 14 से 18 कर दिया गया है।

शिक्षण के प्रावधान

क्लास	दिन	घण्टे
पहली से पाँचवी	200	800
छठी से आठवीं	220	1,000

प्रतिदिन शिक्षण प्रावधान

क्लास	रोज का शिक्षण कार्य (घंटे)
प्राथमिक कक्षा (पहली से पाँचवीं)	4 घण्टे
उच्च प्राथमिक कक्षा (छठीं से आठवीं)	साढ़े चार घण्टे

शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात

- धारा 25 में इसका वर्णन है।
- प्राइमरी क्लास में 30 छात्रों पर 1 शिक्षक होगा।
- उच्च प्राथमिक कक्षा में 35 विद्यार्थियों पर 1 अध्यापक होना जरुरी।
- यदि प्राथमिक कक्षा में 200 से ज्यादा छात्र हो तो विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात 40:1 रहेगा।

विद्यालय एवं घर की दूरी

Scanned with CamScanner

- प्राइमरी क्लास (1 से 5) के बच्चों के घर से स्कूल की दूरी 1 किमी हो।
- सब-प्राइमरी क्लास (6 से 8) के बच्चों के घर से स्कूल की दूरी 3 किमी हो।
- तीन वर्षों के भीतर हर एक घर के समीप स्कूल की व्यवस्था हो।

साप्ताहिक घण्टे

- एक अध्यापक के लिए कम से कम साप्ताहिक घण्टे 45 होंगे।

RTE ACT का महत्त्व

- सभी प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों को Right to Education Act 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए रखी जाती है।
- RTE निजी विद्यालयों (primary schools) के बुनियादी मानकों को स्थापित करने का कार्य करता है।
- आरटीई सभी वंचित बच्चों को जाति,आर्थिक स्थिति के अनुसार आरक्षण के साथ प्राइवेट स्कूल में प्रवेश का अधिकार देता है।
- आरटीई देश में ऐसे स्कूल जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है उनके सञ्चालन के लिए मनाही करता है। यह किसी निजी स्कूल में प्रवेश के लिए बच्चे या उसके माता पिता के साक्षात्कार पर रोक लगाता है।
- मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (right to free and compulsory education) अधिनियम 2009 के तहत बच्चों को उनकी प्राथमिक शिक्षा के पुरे होने तक किसी प्रकार से रोका नहीं जा सकता है और न ही उन्हें स्कूल से निकाला जा सकता है।
- Right to Education Act के तहत बोर्ड परीक्षा नहीं होगी जब तक की बच्चे अपनी प्राथमिक शिक्षा को पूरा नहीं कर लेते हैं।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner